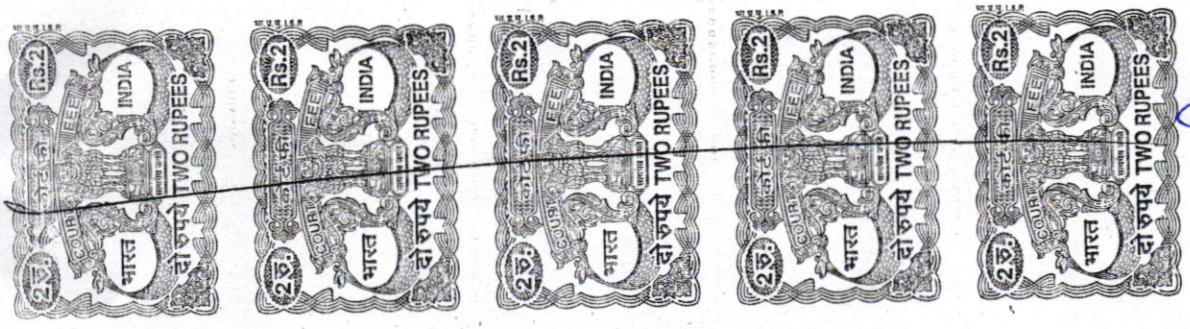

70

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0, ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2015 निगरानी   निगरानी 1122-I-15

कमलापत राय पुत्र श्री गोविन्ददास राय
आयु– 52 वर्ष , व्यवसाय–कृषि
निवासी–बरुआ सागर, जिला झॉसी,
.......आवेदक

दिनांक 19-5-15 को श्री सुरेन्द्र खरे अभि० द्वारा प्रस्तुत।

(S.K.Khare)
Ad
[S.K. Khare]
A

19-5-15
SO

बनाम

1– धरमदास
2– लालसिंह
3– लाखनसिंह
4– वीरसिंह
पुत्रगण श्री ठाकुरदास दांगी, निवासी–
दंगियाना मोहल्ला, निवाडी, जिला
टीकमगढ (म.प्र.) ....अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, विरूद्व आदेश दिनांक 04/04/2015 पारित द्वारा तहसीलदार महोदय <u>निवाडी जिला टीकमगढ</u> (म0 प्र0) जो प्रकरण कमांक 213/बी–121/14.–15 में पारित कर निगरानी कर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन की तरमीम पूर्व के नक्शा दिनांक 02/08/2014 के आधार पर सही कराये जाने बावत् को निराकृत ना करते हुये एस0डी0ओ0 महोदय को प्रेषित किया है एवं एस0डी0ओ0 महोदय निवाडी द्वारा पारित आदेश दिनांक 09/04/15 जिसके द्वारा निगरानीकर्ता को अपील किये जाने हेतु सूचना पत्र प्रेषित किये जाने का आदेश पारित किया है। निगरानी अन्तर्गत आदेश प्रदर्श <u>ए–1</u> से चिन्हित किया गया है।

श्रीमान् जी,

आवेदक की निगरानी सविनय निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत हैः–

संक्षिप्त तथ्य

1– यह कि, निगरानीकर्ता द्वारा एक शिकायती आवेदन पत्र श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय निवाडी के समक्ष प्रस्तुत निवेदन किया कि भूमि खसरा नम्बर 2020/2260 /1/1 एवं 2020/2259 के मध्य पूर्व की तरमीम बिना किसी आधार के गलत तरीके से की गयी है, उक्त तरमीम को पूर्व के नक्शा दिनांक 02/08/2014 के आधार पर सही कराये जाने की कृपा करे।

2– यह कि, उक्त आवेदन पत्र श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय द्वारा तहसीलदार महोदय निवाडी को विधिवत् जॉच कर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। श्रीमान् तहसीलदार महोदय द्वारा नायब तहसीलदार तरीचर कला को जॉच कर [illegible]

XX X(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

.....

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 1122/ I/2015 निगरानी जिला टीकमगढ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-10-2016	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के.खरे, अनावेदक कमांक–1 की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. वाजपेयी उपस्थित, आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी निवाडी, जिला टीकमगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–4–2015 एवं तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 213/बी–121/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 4–4–2015 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता–1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि, ग्राम निवाडीखास की भूमि खसरा नम्बर 2020/2260/1/1 एवं 2020/2259 के मध्य पूर्व की तरमीम बिना किसी आधार के गलत तरीके से की गयी तरमीम को पूर्व नक्शा दिनांक 2–8–2014 के आधार पर सही कराये जाने हेतु आवेदक द्वारा एक शिकायती आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पर से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार को विधिवत जांच कर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया, तहसीलदार द्वारा नायब तहसीलदार तरीचर कला को जांच कर प्रतिवेदन पेश करने हेतु निर्देशित किया जाकर, प्रकरण कमांक 213/बी–121/2014–15 पर दर्ज किया जाकर, 4–4–2015 को प्रकरण समस्त दस्तावेजो सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु	

अनुविभागीय अधिकारी की ओर प्रेषित किया गया। प्रकरण प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 9–4–2015 को प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ वापिस किया गया कि, वह आवेदक को सूचित करे कि यदि वह चाहे तो सक्षम न्यायालय में नियमानुसार अपील करें। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायलय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक के अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया कि, नायब तहसीलदार महोदय, तरीचकला द्वारा पटवारी खसरा व नक्शा की जांच की गयीं। जांच उपरान्त प्रतिवेदन पेश किया कि खसरा नम्बर 2020/2259 का रकवा पूर्व से ही सही था फिर भी नक्शा में गलत तरीके से बिना किसी आदेश के तरमीम की गयी है जिससे आवेदक का रकवा 0.150 हैक्टर कम होकर, अनावेदक का रकवा बढा दिया है। जो गलत है।

उनका यह भी तर्क है कि, पटवारी द्वारा बटांकों का मिलान वर्तमान नक्शा व बन्दोवस्ती नक्शा से किया गया और यह पाया कि विवादित खसरा नम्बरों में लाल स्याही से एक लाईन डाली गयी है जो गलत है। नक्शे में पटवारी व राजस्व निरीक्षक के हस्ताक्षर नहीं है। लाल लाइन डालने से रकवा 0.150 हैक्टर कम हो जाता है। अतः लाल लाइन निरस्त कर निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया गया है।

4– अनावेदक के अधिवकता द्वारा तर्क दिया गया कि, पूर्व में तहसीलदार महोदय के प्रकरण कमांक 14/अ/1992–93 में पारित आदेश दिनांक 21–12–1993 से लाल स्याही से

दिनांक 24–5–2006 द्वारा यथावत रखा गया है। अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध किसी भी सक्षम न्यायालय में कार्यवाही नहीं की गयी इस कारण उक्त आदेश अन्तिम स्वरूप का है। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात आवेदक द्वारा नक्शा दिनांक 2–8–2014 के आधार पर तरमीम किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र किसी भी दृष्टि से स्थिर रखे जाने येाग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी खारिज की जाकर, प्रकरण कमांक 14/अ–6/1992–93 में पारित आदेश दिनांक 21–12–1993 यथावत रखा जाता है।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश, ग्वालियर